न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 88/2023

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र गणपत जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र गणपत जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. माना पुत्री हजारी जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. लादु पुत्र हजारी जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. कालु पुत्र हजारी जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 15/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 32/32 की कुल 8.3470 हैक्ट भूमि 5/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 व 5/28 हिस्सा भूमि गणपत पुत्र हजारी, 5/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा 5/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में से कालु, माना व लादु ने ने अपने हक व हिस्सा की भूमि यानि 15/28 हिस्सा कृषि भूमि की दस्बरदारी दिनांक 06.11.1985 को अपनी भाभी चन्द्रो व दोनो सगे भतीजो कृष्ण एवं शंकरलाल पि0 गणपत जाति धानक साकिन जोखासर तहसील नोहर के पक्ष में करवा दी थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा का परित्याग कर दिया था। वादी के पिता गणपत पुत्र हजारी का स्वर्गवास हो चुका है तथा चन्दो पत्नी गणपत का भी देहान्त हो चुका है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 द्वारा अपने हक हिस्सा का परित्याग करने के बाद वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 के कब्जा काश्त में है जिसकी वादी व प्रतिवादी स0 1 बहिब काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:27:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, दस्बरदारी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता गणपत व प्रतिवादी स0 2 ता 4 के नाम दर्ज है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है गणपत का देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी शकर व कृष्ण के पक्ष मे कर दिया है वादी की माता चन्दो का भी देहान्त हो चुका है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 काबिज है। : वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 32/32 की कुल 8.3470 हैक्ट भूमि 5/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 4 व 5/28 हिस्सा भूमि गणपत पुत्र हजारी, 5/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के तथा 5/28 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्बरदारी के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण स0 1 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक गणपत व शान्ति का देहांत हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:27:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 32/32 के ख0न0 279 की 8.3470 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 5/28 हिस्सा भूमि व गणपत पुत्री हजारी के नाम 2/7

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व मृतक गणपत पुत्री हजारी का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:27:40 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 88 / 2023

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र गणपत जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र गणपत जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. माना पुत्री हजारी जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. लादु पुत्र हजारी जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. कालु पुत्र हजारी जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 08 सन 2024 निर्णय दिनांक 15/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता स0 32/32 के ख0न0 279 की 8.3470 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 5/28 हिस्सा भूमि व गणपत पुत्री हजारी के नाम 2/7 हिस्सा भूमि दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व मृतक गणपत पुत्री हजारी का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/7/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.25 18:27:40 IST
Reason: SelfAttested